



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240136
CG-DL-E-09112022-240136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4956]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4956]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5175(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3546 दिनांक 29 जुलाई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752 डी (सपुर) के कि.मी. 26.9 से कि.मी.47.4 (उज्जैन-बदनावर खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "समाचार पत्र की दिनांक 04 अगस्त 2022 " को "दैनिक भास्कर" और अंग्रेजी में "फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752 डी (Spur) के कि.मी. 26.9 से कि.मी. 47.4 (उज्जैन-बदनावर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: उज्जैन			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: उज्जैन				
	गांव का नाम: मेढ्रिया				
1	118/3	निजी	सिंचित	0.017	मोतीलाल पिता कन्हैयालाल, नवीन पिता मोतीलाल, धर्मेन्द्र, रणजीत निर्मला, स्मिता, रवीन्द्र पिता कैलाशचंद्र (118/3)
2	133/2/2	निजी	सिंचित	0.311	धापूबाई पति हीरालाल राजेश कुमार श्यामलाल बनवारीलाल अरविन्द पिता हीरालाल (133/2/2)
3	150/2/1	निजी	सिंचित	0.008	धर्मेन्द्र, निर्मला, रंजीत, स्मिता, रविन्द्र पिता कैलाशचंद्र, उमाबाई पति गिरधारीलाल, खुशबु, अलका, भरत, आरती, मेघा, हिमांशु पिता गिरधारीलाल, उर्मिला पति प्रकाश, जयगौरव, मनस्वी पिता प्रकाश, बंसीलाल पिता हेमराज, कविता, ममता, धर्मेन्द्र, महेश पिता बंशीलाल, वंदना पति किशोर, मोतीलाल किशोर पिता कन्हैयालाल भागवंती बाई पिता कन्हैयालाल (150/2/1)

	गांव का नाम: चण्डमुख				
4	63	निजी	सिंचित	0.18	रामसिंह पिता रतिराम (63/1)
5	63	निजी	सिंचित	0.03	कालू जयगणेश पिता अनोखीलाल (63/2)
6	63	निजी	सिंचित	0.001	मनोज पिता कालु (63/3)
	गांव का नाम: चिंतामन जवासिया				
7	189/2	निजी	सिंचित	0.6	हाकमसिंह पिता मयाराम (189/2)
	गांव का नाम: गंगेड़ी				
8	210/10	निजी	सिंचित	0.03	धापूबाई पति भँवरलाल (210/10)
9	210/3	निजी	सिंचित	0.03	धापूबाई पति भँवरलाल (210/3)
10	210/4	निजी	सिंचित	0.06	भँवरलाल पिता मुन्नालाल (210/4)
11	210/7	निजी	सिंचित	0.08	भँवरलाल पिता मुन्नालाल (210/10)
12	242/2	सरकारी	असिंचित	0.1	शासकीय नाला (242/2)
13	520/1/2	सरकारी	असिंचित	0.29	निस्तार चरनोई (520/1/2)
	गांव का नाम: मंगरोला				
14	1/2/1	निजी	सिंचित	0.04	विष्णु पिता हिरालाल (1/2/1)
15	141	सरकारी	असिंचित	0.17	शासकीय रास्ता (141)
16	1454	सरकारी	असिंचित	0.11	शासकीय (1454)
17	1471	सरकारी	असिंचित	0.04	शासकीय निस्तार (1471)
18	364	निजी	सिंचित	0.4	नरेंद्र सिंह पिता कैलाशसिंह (364)

19	4	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय (4)
20	5	सरकारी	असिंचित	0.11	शासकीय (5)
गांव का नाम: पिपल्याराघो					
21	46/1	निजी	सिंचित	0.015	शोभाराम पिता लालजी (118/3)
गांव का नाम: रत्नाखेड़ी					
22	114	सरकारी	असिंचित	0.01	शासकीय निस्तार (114)
23	118/3	निजी	सिंचित	0.04	नगजी पिता दल्ला (118/3)
24	118/4	निजी	सिंचित	0.12	भँवरबाई पति गुलाब (118/4)
25	121/1	निजी	सिंचित	0.07	रामेश्वर पिता थावर (121/1)
26	121/2/1	निजी	सिंचित	0.06	धर्मेन्द्र प्रकाश पिता हिरालाल (121/2/1)
27	121/2/2	निजी	सिंचित	0.01	रामेश्वर पिता थावर धर्मेन्द्र प्रकाश, बाबूलाल, ताराबाई पिता हिरालाल चतरबाई वि. हिरालाल (121/2/2)
28	121/3	निजी	सिंचित	0.1	रामेश्वर पिता थावर (121/3)
29	130/3	निजी	सिंचित	0.04	अरुण पिता पन्नलाल (130/3)
30	194/1	निजी	सिंचित	0.18	रमेश पिता पन्नलाल (194/1)
			कुल	3.262	

[फा. सं. 002/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5175(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3546 (E) dated 29 July 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-752D (Spur) on the stretch of land from Km 26.9 to Km 47.4 (Ujjain-Badnawar Section) in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 04 August 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-752D in the stretch of land from Km 26.9 to Km 47.4 (Ujjain-Badnawar section) in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: UJJAIN		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ujjain				
	Village: Mindiya				
1	118/3	Private	Irrigated	0.017	Motilal S/o Kanhaiyalal, Naveen S/o Motilal, Dharmendra, Ranjit Nirmala, Smita, Ravindra S/o Kailashchandra 118/3
2	133/2/2	Private	Irrigated	0.311	Dhapubai W/o Hiralal Rajesh Kumar Shyamlal Banwarilal Arvind S/o Hiralal 133/2/2
3	150/2/1	Private	Irrigated	0.008	Dharmendra, Nirmala, Ranjit, Smita, Ravindra S/o Kailashchand, Umabai W/o Girdhari Lal, Khushbu, Alka, Bharat, Aarti, Megha, Himanshu S/o

					Girdhari Lal, Urmila W/o Prakash, Jaygaurav, Manasvi D/o Prakash, Bansilal S/o Hemraj, Kavita, Mamta, Dharmendra, Mahesh S/o Banshilal, Vandana W/o Kishore, Motilal Kishore S/o Kanhaiyalal Bhagwanti Bai D/o Kanhaiyalal 150/2/1
	Village: Chandmukh				
4	63	Private	Irrigated	0.18	Ram Singh S/o Ratiram 63/1
5	63	Private	Irrigated	0.03	Kalu Jayganesh S/o Anokhilal 63/2
6	63	Private	Irrigated	0.001	Manoj S/o Kalu 63/3
	Village: Chintaman Jawasiya				
7	189/2	Private	Irrigated	0.6	Hakamsingh S/o Mayaram 189/2
	Village: Gangedi				
8	210/10	Private	Irrigated	0.03	Dhapubai W/o Dhapubai 210/10
9	210/3	Private	Irrigated	0.03	Dhapubai W/o Bhanwarlal 210/3
10	210/4	Private	Irrigated	0.06	Bhanwarlal S/o Munnalal 210/4
11	210/7	Private	Irrigated	0.08	Bhanwarlal S/o Munnalal 210/10
12	242/2	Government	Non Irrigated	0.1	Government Nala 242/2
13	520/1/2	Government	Non Irrigated	0.29	Nistar Charnoi 520/1/2
	Village: Mangrola				
14	1/2/1	Private	Irrigated	0.04	Vishnu S/o Hiralal 1/2/1
15	141	Government	Non Irrigated	0.17	Government Rasta 141
16	1454	Government	Non Irrigated	0.11	Government 1454
17	1471	Government	Non Irrigated	0.04	Government Nistar 1471
18	364	Private	Irrigated	0.4	Narendra Singh S/o Kailash Singh 364
19	4	Government	Non Irrigated	0.01	Government 4
20	5	Government	Non Irrigated	0.11	Government 5
	Village: Piplyaragho				
21	46/1	Private	Irrigated	0.015	Shobharam S/o Lalji 118/3

	Village: Ratnakhedi				
22	114	Government	Non Irrigated	0.01	Government Nistar 114
23	118/3	Private	Irrigated	0.04	Nagji S/o Dalla 118/3
24	118/4	Private	Irrigated	0.12	Bhanwarbai W/o gulab 118/4
25	121/1	Private	Irrigated	0.07	Rameshwar S/o Thavar 121/1
26	121/2/1	Private	Irrigated	0.06	Dharmendra Prakash S/o Hiralal 121/2/1
27	121/2/2	Private	Irrigated	0.01	Rameshwar S/o Thavar, Dharmendra, Prakash, Babulal, Tarabai D/o Hiralal Chatarbai Wd/o Hiralal 121/2/2
28	121/3	Private	Irrigated	0.1	Rameshwar S/o Thavar 121/3
29	130/3	Private	Irrigated	0.04	Arun S/o Pannalal 130/3
30	194/1	Private	Irrigated	0.18	Ramesh S/o Pannalal 194/1
			TOTAL	3.262	

[F. No. 002/3D]

RAJESH GUPTA, Director